

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद

नं०/१० केश नं० 620 / 2017

धारा 107 द.प्र.स.

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
12.4.17	दिलीप मंडल बनाम जगदीश राय	14/5/17
	गोविन्दपुर थाना अप्राथमिकी सं० 33/17	25/5/17
	प्राप्त हुआ अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी	5/6/17
	स० अ०नि०/अ०नि० गोविन्दपुर ने जाँच कर अपना	13/6/17
	प्रतिवेदन थाना प्रभारी गोविन्दपुर थाना एवं	3/7/17
	अ० निरी० गोविन्दपुर ने अग्रसारित किया	18/7/17
	है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच	11/8/17
	को	13/8/17
	लेकर	3/9/17
	तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	14/9/17
	भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा	3/10/17
	सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव	16/10/17
	व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	01/11/17
	है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107	16/11/17
	द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ	29/11/17
	कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 9.5.17 को 10.30 बजे	15/12/17
	पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं	29/12/17
	लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो	15/01/18
	समप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	11/2/18
	लेखापित एवं संशोधित	12/2/18
	अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	23/2/18
	अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	16/2/18